

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी/वादीगण

प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

मन्जु पुत्री रतनसिंह

बनाम

कांतादेवी पत्नी स्व. दिलीपसिंह पुत्रवधु रतनसिंह

निवासी-श्यागगढ, तहसील-नावां

निवासी-प्रेमनगर साउथ वेस्ट दिल्ली

प्रकरण : राजस्व वाद पत्र

संख्या - 72 / 2026

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
23.03.2026	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती लक्ष्मी चौधरी ने यह वाद पत्र अधीन धारा 53, 88, 188 आर टी एक्ट 1955 के तहत पेश किया है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब हो। मिसल दिनांक : 29.04.2026 को पेश हो।</p> <p>29/4/26 (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>पत्रावली पेश हुई का मुकाम स्व. पीठासीन अधिकारी रतनसिंह का पत्रावली ब्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 20/5/26 को पेश हो</p>	
	<p>20/5/26 :- वकील वादी गैर हाजिर। झावाजे लावाई गई। परन्तु कोई अधिवक्ता/पक्षधर प्रकरण हाजा में उपस्थित नहीं आए। अतः लावजूद तरीक पंजी सूचना के प्रकरण में और हाजिर रहने से वादपत्र 53, 88, 188 र.ग.अ. 1955 अफम हाजरीन अफम पेशी में जारी किया जाता है। मिसल करने नम्बर से प्रक होकर क्षमिषु दफ्तर है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	